प्रपत्र–26

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

भू–वैज्ञानिक की आख्या

ह0/
भू–वैज्ञानिक

पत्रांक 26

(28)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 28/2454/12

जनपद देहरादून में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत पंजीटिलानी–सैंज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अप्रैल 2012

जनपद देहरादून में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत पंजीटिलानी–सैंज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सहिया के अन्तर्गत 4.325 कि0मी0 लम्बाई में पंजीटिलानी–सैंज मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.04.2012 को संबंधित अपर सहायक अभियन्ता श्री आर0 सी0 शर्मा के साथ निरीक्षण किया गया।

2. टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत पंजीटिलानी–सैंज मोटर मार्ग का 8.00 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्गाण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर विचार किया गया है। समरेखन संख्या दो में आरक्षित वनभूमि आने, स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। सहिया–क्वानू मोटर मार्ग से प्र0ग्रा0 सड़क योजना मे निर्मित चिबऊ–खमरोली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में हेयर पिन बैण्ड से पंजीटिलानी–सैंज मोटर मार्ग का प्रस्तावित समरेखन आरम्भ होता है। कि0मी03–4 में ग्राम दिलऊ होते हुये सैंज पहुॅच कर समरेखन पूर्ण होता है। इस समरेखन के अनुसार सैंज तक मार्ग की वास्ताविक लम्बाई 4.325 कि0मी0 अवगत कराई गई। समरेखन में पॉच हेयर पिन बैण्ड्स हैं जो क्रमशः कास सैक्शन 1/21, 1/32, 2/19, 2/30 तथा 3/37 में नियोजित किये गये है। अवगत कराया गया कि एच0पी0 बैण्ड्स एक दूसरे के ऊपर नहीं हैं। अलग–अलग भाग में समरेखन नाप एवं सिविल भूमि से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में भूमि का ढ़लान सामान्यतः 25° से 55° तक प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः शैल एवं स्लेट चट्टानें है। ये चट्टानें संधियुक्त तथा वेदर्ड हैं स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिगं दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।

(ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये।

(घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(ड़) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाते हुये सावधनीवपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(च) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(छ) जहां आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एंव स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एंव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भांवना हो सकती है।

5. पंजीटिलानी–सैंज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.325 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar 25.4.12

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि. स्तर–I
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रपत्र–27

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
राहिया